किसानों की समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित किया जाये---------- जिलाधिकारी

वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर खेती करके व मृदा परीक्षण कराकर उर्वरकों का आवश्यकतानुसार करें उपयोग और लें अधिक पैदावार---जिलाधिकारी

कृषि विभाग किसानों के हित के लिए सक्रिय होकर कार्य करे-----------------जिलाधिकारी

कृषि विभाग किसानों के खेतों की मृदा परीक्षण कराना सुनिश्चित करे---------------- जिलाधिकारी

मुजफफरनगर 16 मई 2018... जिलाधिकारी राजीव शर्मा ने कहा कि जनपद में 68 को-आपरेटिव सोसायटी कार्यरत है। उन्होने एआर को-आपरेटिव को निर्देश दिये कि अभियान चलाकर को-आपरेटिव सोसायटी के सदस्य बनाये जाये। उन्होने कहा कि किसानों को सभी सम्भव लाभ मिलने चाहिए। उन्होने कहा कि किसानों की हर समस्या का समाधान प्राथमिकता पर हो। उन्होने कहा कि विद्युत विभाग सुनिश्चित करे कि 01.04.2017 से 31.03.2018 तक के नलकूपों के बिलों पर ओटीएस की सुविधा उन्हें उपलब्ध करायी जाये। उन्होने कहा कि उनके कनेक्शन के भार क्षमता से अधिक वसूली न की जाये। उन्होने कहा कि अधिकारी किसानों की समस्याओं को गम्भीरता से ले और संवेदनशील होकर समय सीमा के अन्तर्गत शिकायतों का निस्तारण करे। उन्होने किसानों को उन्नतशील बीज एवं कृषि रसायन आदि की जानकारी भी उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि कृषि विभाग का दायित्व है कि फसल की बुआई के पहले ही कृषकों के मृदा परीक्षण कराया जाये और उन्हें कार्ड भी उपलब्ध कराया जाये जिससे उन्हें यह जानकारी मिल सकें कि उनके खेत को कितने उर्वरक की आवश्यकता है। उन्होने कहा कि कृषि वैज्ञानिक पद्धति पर की जाये जिससे अधिक उपज ली जा सकें। जिलाधिकारी ने पी0ओ0एस0 मशीनों की खराबी दूर कराने के संबंध में शासन स्तर पर वार्ता करने के निर्देश ए0आर0 को-आपरेटिव को दिये। उन्होंने बताया कि किसानों को खाद आदि मिलने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि जनपद में खाद की कोई कमी नहीं है।

जिलाधिकारी राजीव शर्मा आज यहां जिला पंचायत सभागार में किसान दिवस के अवसर पर किसानों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होने कहा कि कृषि विभाग मृदा परीक्षण मशीन से किसानों की मृदा का गुणवत्ता पूर्ण परीक्षण कराये। यदि परीक्षण में कहीं गडबडी पायी जाये तो सम्बन्धित कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। उन्होने कहा मशीनों से मृदा परीक्षण होने से किसानो को यह जानकारी मिल सकेगी कि उन्हे उनकी फसल के लिए कितना उर्वरक एवं पेस्टीसाईडस डाले जाने की आवयश्यकता है। उन्होने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाये चीनी मिलों द्वारा जनपद के सभी किसानों का गन्ना क्रय किया जाये और उसका भुगतान समय पर किया जाये। उन्होने कहा कि गन्ना क्रय मूल्य का भुगतान न करने वाले चीनी मिलों के खिलाफ जिला गन्ना अधिकारी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि बिजली लाईन से होने वाली फसल हानि एवं पशु हानि के प्रकरणों में शीध्र कार्यवाही कराते हुए सम्बन्धित को मुआवजा राशि का भुगतान कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि फसल एवं पशु हानि होने पर उनके स्वामियों को मुवावजा दिया गया है। उन्होने कहा कि बिजली की

लाईन से पशु एवं फसल हानि के जो प्रकरण लम्बित है उनमें नियमानुसार मुआवजा देने की प्रक्रिया के अन्तर्गत शीघ्रता से कार्यवाही की जाये। उन्होने सडक दुर्घटना आदि में होने वाली जन हानि के लिए भी कृषकों को लेखपाल से सम्पर्क कर बीमित होने के लिए कहा। उन्होने कहा कि किसान दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत भी किसानोंा को लाभान्वित किया जा रहा है।

जिलाधिकारी ने किसान दिवस में किसानों की समस्यायें सुनते हुए कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिले में खाद, बीज व कीटनाशक दवाईयों के विक्रेताओं की दुकानों व गोदामों का औचक निरीक्षण करें। उन्होने डीसीओ को किसानों को बकाया गन्ना भुगतान तेजी के कराये जाने के निर्देश दिये। उन्होनें निर्देश दिये कि कृषि विभाग किसानों के हित के लिए सक्रिय होकर कार्य करे। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि किसानों से सम्बन्धित चल रही योजनाओं का प्रचार प्रसार कराया जाये तथा किसानों को योजनाओ का लाभ दिलाया जाये। उन्होने कहा कि किसानो की राजस्व विभाग की समस्या को त्वरित रूप से निस्तारित कराया जाये। उन्होने किसानो को आश्वस्त किया कि किसानों की समस्यायें सर्वोच्च प्राथमिकता पर निस्तारित करायेगे। जिलाधिकारी ने किसानों की समस्याओं को सुनकर उनके यथोचित निस्तारण के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये। उन्होने सभी समस्याओं पर प्रभावी एवं समुचित कार्यवाही करने के निर्देश सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को दिये।

जिलाधिकारी ने वैज्ञानिका पद्वति के आधार पर खेती करने मृदा परीक्षण कराने एवं उर्वरकों की आवश्यकता अनुसार उपयोग करने पर बल दिया। उन्होने सोलर पम्प योजना के बारे में किसानों को विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए योजना का लाभ उठानें के बारे में अवगत कराया। जिलाधिकारी राजीव शर्मा ने कहा कि घरेलू कचरे से तैयार स्प्रे से फसले अधिक ली जा सकती हैं और लागत भी कम आयेगी। उन्होने ग्राम प्रधानों एवं कृषक भाइयों को जागरूक करेंगे कि किस प्रकार हम कूडे कचरे से तरल एवं कम्पोस्ट खाद तैयार कर अधिक पैदावार प्राप्त कर सकेंगे और कचरा इधर उधर नहीं फेंकना पडेगा। उन्होंने बताया कि अधिक पैदावार लेने के लिए यूरिया और पेस्टीसाइडस का प्रयोग कम करते जायें। उन्होंने बताया कि खेतों की मेढो को मजबूत कर और गहरी जुताई कर तथा बरसात का पानी खेतों में रोककर केचवों की संख्या बढायें। उन्होंने कहा कि पूरा जनपद ओ0डी0एफ0 है। उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि अपने पडोसियों को भी संदेश दें कि घर का कूडा सडक पर न डालें और सडने वाले कचरे से कम्पोस्ट बनायें ।

जिलाधिकारी ने कहा कि अधिशासी अभियंता विद्युत को निर्देश दिये कि ठेके पर कार्यरत कर्मियों को आई कार्ड और वर्दी में ड्यूटी पर रहने के निर्देश दिये जाये। उन्होने कहा कि अपने समस्त ठेकेदारों को लेकर उनसे मिलें और एक सप्ताह के अन्दर उन्हें आई कार्ड दिये जाये जिससे ग्रामीण क्षेत्रो में उनकी पहचान हेा सके। उन्होने कहा कि आई कार्ड पर विद्युत विभाग के अधिकारियो के कांउटर साइन कराने सुनिश्चित किये जायेगे। उन्होने सौभाग्य योजना के अन्तर्गत ऐसे लोगो जो पात्रता में आते है और अभी तक कनेक्शन से वंचित है उन्हें प्राथमिकता पर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये। उन्होने जिला कृषि अधिकारी को निर्देश दिये कि केसीसी पर मिलने वाले फसली ऋण के अन्तर्गत कृषकों को समय पर भुगतान करने के बाद ब्याज में सब्सिडी उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये। एक अन्य प्रकरण में किसान के 50 मीटर की दूरी के बजाय 500 मीटर की दूरी बताने पर अधिशासी अभियंता को तीन दिन में जांच कर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिये।

इस अवसर अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 सियाराम मौर्य, जिला कृषि अधिकारी, जिला गन्ना अधिकारी, एआर को-ऑपरेटिव सहित किसान नेता एवं बडी संख्या में किसान व अन्य सभी सम्बन्धित अधिकारी मौजूद थे।

सूचना विभाग, मु0नगर।